पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 फरवरी, 2006 ई0 (माघ 29, 1927 शक सम्वत्) [संख्या–07

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	53–80	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	25–27	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सिंचाई विभाग

सेवानिवृत्ति विज्ञप्ति

02 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 3819/II–05–01(46)/2005–एतद्द्वारा यह विज्ञापित किया जाता है कि उत्तरांचल प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) श्रेणी "क" (सिविल) एवं (यांत्रिक) एवं श्रेणी "ख" के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी निम्न विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवानिवृत्त हो जायेंगे:–

श्रेणी "क" (सिविल)

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1.	श्री कंवल नैन बिरमानी	अधिशासी अभियन्ता	04.02.46	28.02.06	उत्तरांचल विकल्पधारी
2.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन	अधीक्षण अभियन्ता	06.03.46	31.03.06	उत्तरांचल काडर
3.	श्री मलखान सिंह वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	31.07.46	31.07.06	उत्तरांचल विकल्पधारी
4.	श्री अशोक कुमार राठी	अधीक्षण अभियन्ता	24.06.46	31.08.06	उत्तरांचल काडर
5.	श्री शिवदत्त	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	15.09.46	30.09.06	उत्तरांचल विकल्पधारी
6.	श्री हर विलास चन्द्र पाठक	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	08.10.46	31.10.06	उत्तरांचल काडर
7.	श्री नरेन्द्र सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	08.10.46	31.10.06	उत्तरांचल काडर

श्रेणी "क" (यांत्रिक)

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1.	श्री राम कुमार	अधिशासी अभियन्ता	02.05.46	31.05.06	उत्तरांचल विकल्पधारी
2.	श्री विनय प्रकाश	अधीक्षण अभियन्ता	31.05.46	31.05.06	उत्तरांचल विकल्पधारी

श्रेणी "ख"

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1.	श्री सुलेख चन्द्र गुप्ता	सहायक अभियन्ता	06.04.46	30.04.06	उत्तरांचल विकल्पधारी
2.	श्री केशव दत्त पुरोहित	सहायक अभियन्ता	18.04.46	30.04.06	उत्तरांचल काडर

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	अभ्युक्ति
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद रघुवंशी	सहायक अभियन्ता	20.07.46	31.07.06	उत्तरांचल काडर
4.	श्री नन्दन सिंह स्योत्री बिष्ट	सहायक अभियन्ता	15.08.46	31.08.06	उत्तरांचल काडर
5.	श्री राम चन्द्र राठौर	सहा० अनुसंधान अधिकारी	10.01.46	31.01.06	स्थानीय काडर
6.	श्री इन्दु मोहन गुसांई	सहा० अनुसंधान अधिकारी	05.02.46	28.02.06	स्थानीय काडर
7.	श्री सुमति लाल जैन	सहा० अनुसंधान अधिकारी	13.03.46	31.03.06	स्थानीय काडर
8.	श्री राजवीर सिंह	सहा० अनुसंधान अधिकारी	20.12.46	31.12.06	स्थानीय काडर

एन० रवि शंकर,
सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

25 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 1–नो०–(सी०)/XXXVI(I)/2006–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल श्री त्रिभुवन सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 24–01–2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के साथ–साथ तहसील बड़कोट के लिए नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रुल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री त्रिभुवन सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्टि कर ली जाय।

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,
सचिव एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1-No-(C)/XXXVI(I)/2006, dated January 25, 2006 for general information :

NOTIFICATION

Appointment

January 25, 2006

No. 1-No-(C)/XXXVI(I)/2006–In exercise of the powers under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Sri Tribhuvan Singh, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 24-01-2006 for District Headquarter Uttarkashi including Tehsil Barkot and in exercise of the powers under sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Sri Tribhuvan Singh be entered in the register of Notaries maintained under section 4 of the said Act.

By Order,

U.C. DHYANI,
Secretary & L.R.

सं0 1608/VIII/58-प्रशि0/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांक 09 जनवरी, 2006 ई0

विषय :- वित्तीय वर्ष 2005-06 में वाराकोट, जिला चम्पावत में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चम्पावत के वाराकोट में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय कटिंग एण्ड स्वीइंग, आशुलिपि हिन्दी (कम्प्यूटर सहित), विद्युतकार हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाराकोट, जिला चम्पावत हेतु पदों का विवरण

क्र0सं0	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कार्यदेशक श्रेणी-तीन	01	6,500-10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5,000-8,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000-8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000-8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000-6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000-6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,610-3,540
8.	चपरासी	01	2,550-3,200
9.	चौकीदार	02	2,550-3,200
10.	स्वच्छकार	01	2,550-3,200
	योग :	14	

2-उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित आदेश के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	कटिंग एण्ड स्वीइंग	01	16
2.	आशुलिपि हिन्दी (कम्प्यूटर सहित)	01	16
3.	विद्युतकार	01	16

3–उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 14,00,000.00 (रुपये चौदह लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बजट व्यवस्था :– धनराशि हजार रुपयों में

क्र0 सं0	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01–वेतन	01
2.	03–मंहगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	50
6.	09–विद्युत देय	50
7.	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	11–लेखन सामग्री	12
9.	12–कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	01
10.	13–किराया उपशुल्क	01
11.	21–छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	10
12.	28–मशीने साज–सज्जा/उपकरण	1200
13.	42–अन्य व्यय	70
14.	48–मंहगाई वेतन	01
	योग :	1400

4–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5–व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएस एण्ड डी की दरों एवं शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या 16, मुख्य लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत–00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यूओ 02/वि0अनु0–5, दिनांक 03.01.2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

सं0 1610/VIII/60–प्रशि0/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून : दिनांक 12 जनवरी, 2006 ई0

विषय :– वित्तीय वर्ष 2005–06 में मोरी, जनपद उत्तरकाशी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी के मोरी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय कटिंग एण्ड स्वीइंग, आशुलिपि हिन्दी, वायरमैन हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोरी, जिला उत्तरकाशी हेतु पदों का विवरण

क्र0सं0	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6,500–10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5,000–8,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000–8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000–8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000–6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000–6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,610–3,540
8.	चपरासी	01	2,550–3,200
9.	चौकीदार	02	2,550–3,200
10.	स्वच्छकार	01	2,550–3,200
	योग :	14	

2–उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

क्र०सं०	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	कटिंग एण्ड स्वीइंग	01	16
2.	आशुलिपि हिन्दी	01	16
3.	वायरमैन	01	16

3–उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 14,00,000.00 (रुपये चौदह लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बजट व्यवस्था :–

		धनराशि हजार रुपयों में
क्र० सं०	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01–वेतन	01
2.	03–मंहगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	50
6.	09–विद्युत देय	50
7.	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	11–लेखन सामग्री	12
9.	12–कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	01
10.	13–किराया उपशुल्क	01
11.	21–छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	10
12.	26–मशीने साज–सज्जा/उपकरण	1200
13.	42–अन्य व्यय	70
14.	48–मंहगाई वेतन	01
	योग :	1400

4–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5–व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएस एण्ड डी की दरों एवं शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन०सी०वी०टी० के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या 16, मुख्य लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत–00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यूओ 15/वि०अनु०–5, दिनांक 04.01.06 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

सं0 1612/VIII/62-प्रशि0/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांक 09 जनवरी, 2006 ई०

विषय :- वित्तीय वर्ष 2005-06 में जसपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय फिटर, विद्युतकार, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए वशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जसपुर, जिला ऊधमसिंह नगर हेतु पदों का विवरण

क्र0सं0	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कार्यदेशक श्रेणी-तीन	01	6,500-10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5,000-8,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000-8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000-8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000-6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000-6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,810-3,540
8.	चपरासी	01	2,550-3,200
9.	चौकीदार	02	2,550-3,200
10.	स्वच्छकार	01	2,550-3,200
	योग :	14	

2-उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	फिटर	01	16
2.	विद्युतकार	01	16
3.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	20

3–उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्च हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 14,00,000.00 (रुपये चौदह लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बजट व्यवस्था :– धनराशि हजार रुपयों में

क्र0 सं0	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01–वेतन	01
2.	03–मंहगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	50
6.	09–विद्युत देय	50
7.	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	11–लेखन सामग्री	12
9.	12–कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	01
10.	13–किराया उपशुल्क	01
11.	21–छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	10
12.	26–मशीने साज–सज्जा/उपकरण	1200
13.	42–अन्य व्यय	70
14.	48–मंहगाई वेतन	01
	योग :	1400

4–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5–व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएस एण्ड डी की दरों एवं शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या 16, मुख्य लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत–00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यूओ 06/वि0अनु0–5, दिनांक 02.01.2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

सं० 1613/VIII/63-प्रशि०/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून : दिनांक 09 जनवरी, 2006 ई०

विषय :- वित्तीय वर्ष 2005-06 में किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय कटिंग एण्ड स्वीइंग, वेल्डर, कारपेन्टर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर हेतु पदों का विवरण

क्र०सं०	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कार्यदेशक श्रेणी-तीन	01	6,500-10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5,000-8,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000-8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000-8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000-6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000-6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,610-3,540
8.	चपरासी	01	2,550-3,200
9.	चौकीदार	02	2,550-3,200
10.	स्वच्छकार	01	2,550-3,200
	योग :	14	

2-उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

क्र०स०	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1	कटिंग एण्ड स्वीइंग	01	16
2.	वेल्डर	01	12
3.	कारपेन्टर	01	16

3- उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 14 00 000 00 (रुपये चौदह लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

बजट व्यवस्था :–

धनराशि हजार रुपयों में

क्र० सं०	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1	01 वेतन	01
2.	03–महंगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	50
6.	09–विद्युत देय	50
7.	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	11–लेखन सामग्री	12
9.	12–कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	01
10.	13–किराया उपशुल्क	01
11.	21–छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	10
12.	28–मशीने साज–सज्जा/उपकरण	1200
13.	42–अन्य व्यय	70
14.	48–महंगाई वेतन	01
	योग :	1400

4- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये व्यय उन्हीं मदों पे किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5- व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएस एण्ड डी की दरों एवं शर्तों टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या 16 मुख्य लेखाशीर्षक–2230- श्रम तथा रोजगार, 03- प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत–00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यूओ 07/वि0अनु0–5, दिनांक 02.01.2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

सं० 1614/VIII/64–प्रशि०/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून दिनांक 09 जनवरी, 2006 ई०

विषय – वित्तीय वर्ष 2005-06 में थौलधार, जिला टिहरी गढ़वाल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के थौलधार में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय कटिंग एण्ड स्वीइंग, विद्युतकार एवं एन्ट्री ऑपरेटर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, थौलधार, जिला टिहरी गढ़वाल हेतु पदों का विवरण

क्र०सं०	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6,500–10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5,000–8,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000–8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000–8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000–6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000–6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,810–3,540
8.	चपरासी	01	2,550–3,200
9.	चौकीदार	02	2,550–3,200
10.	स्वच्छकार	01	2,550–3,200
	योग :	14	

2– उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	कटिंग एण्ड स्वीइंग	01	16
2.	विद्युतकार	01	16
3.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	16

3–उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एव अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 14.00,000.00 (रुपये चौदह लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

बजट व्यवस्था :– धनराशि हजार रुपयों में

क्र0 स0	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01–वेतन	01
2.	03–मंहगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	50
6.	09–विद्युत देय	50
7.	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	11–लेखन सामग्री	12
9.	12–कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	01
10.	13–किराया उपशुल्क	01
11	21–छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	10
12.	26–मशीने साज–सज्जा/उपकरण	1200
13.	42–अन्य व्यय	70
14.	46–मंहगाई वेतन	01
	योग :	1400

4 उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय मे मितव्ययता नितान्त आवश्यक है मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5 व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स डीजीएस एण्ड डी की दरों एवं शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6 स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या 16, मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार 03–प्रशिक्षण आयोजनागत 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत 00 के अन्तर्गत सुसगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यूओ 01/वि0अनु0–5, दिनांक 02.01.2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

सं0 1615/VIII/65–प्रशि0/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून : दिनांक 09 जनवरी, 2006 ई0

विषय – वित्तीय वर्ष 2005–06 मे धौलछीना, जिला अल्मोड़ा मे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा के धौलछीना मे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय आशुलिपि हिन्दी (कम्प्यूटर सहित), कटिंग टेलरिंग, विद्युतकार हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि जो भी बाद मे हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए बशर्तें की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धौलछीना, जिला अल्मोड़ा हेतु पदों का विवरण

क्र0सं0	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6,500–10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5,000–8,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000–8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000–8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000–6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000–6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,610–3,540
8.	चपरासी	01	2,550–3,200
9.	चौकीदार	02	2,550–3,200
10	स्वच्छकार	01	2,550–3,200
	योग :	14	

2. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

क्र0स0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	आशुलिपि हिन्दी (कम्प्यूटर सहित)	01	16
2.	कटिंग टेलरिंग	01	16
3.	विद्युतकार	01	16

3- उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 14,00,000.00 (रुपये चौदह लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

बजट व्यवस्था :— धनराशि हजार रुपयों में

क्र0 सं0	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01—वेतन	01
2.	03—मंहगाई भत्ता	01
3.	04 यात्रा भत्ता	01
4.	06—अन्य भत्ते	01
5.	08—कार्यालय व्यय	50
6.	09—विद्युत देय	50
7.	10—जलकर/जल प्रभार	01
8.	11—लेखन सामग्री	12
9.	12—कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	01
10.	13—किराया उपशुल्क	01
11	21—छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	10
12.	26—मशीने राज—सज्जा/उपकरण	1200
13.	42 अन्य व्यय	70
14.	48—महंगाई वेतन	01
	योग :	1400

4 उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त—पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5 व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएस एण्ड डी की दरों एवं शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6 स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 हेतु अनुदान संख्या 16, मुख्य लेखाशीर्षक—2230—श्रम तथा रोजगार, 03—प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003—दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03—दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत 00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यूओ 04/वि0अनु0—5, दिनांक 02.01.2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

सं0 1616/VIII/66–प्रशि0/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून : दिनांक 12 जनवरी, 2006 ई0

विषय : वित्तीय वर्ष 2005–06 में कासखेत, जिला पौड़ी गढ़वाल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कासखेत में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय, आशुलिपि हिन्दी (कम्प्यूटर सहित), कटिंग टेलरिंग, विद्युतकार हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कासखेत, जिला पौड़ी गढ़वाल हेतु पदों का विवरण

क्र0सं0	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6,500–10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5,000–8,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000–8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000–8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000–6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000–6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,610–3,540
8.	चपरासी	01	2,550–3,200
9.	चौकीदार	02	2,550–3,200
10	स्वच्छकार	01	2,550–3,200
	योग :	14	

2. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ साथ शासन द्वारा समय समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

क्र०स०	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1	ड्राफ्ट्समैन सिविल	01	16
2.	कटिंग टेलरिंग	01	16
3.	विद्युतकार	01	16

3- उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 14,00,000.00 (रुपये चौदह लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

बजट व्यवस्था :–

धनराशि हजार रुपयों में

क्र० स०	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1	01- वेतन	01
2.	03–मंहगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	50
6.	09–विद्युत देय	50
7.	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	11–लेखन सामग्री	12
9.	12–कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	01
10.	13–किराया उपशुल्क	01
11.	21–छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	10
12.	26–मशीनें साज–सज्जा/उपकरण	1200
13.	42–अन्य व्यय	70
14.	48–मंहगाई वेतन	01
	योग :	1400

4-उक्त धनराशि, इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5-व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएस एण्ड डी की दरों एवं शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन०सी०वी०टी० के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6-स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7-उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या 16, मुख्य लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण आयोजनागत 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत 00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यूओ 20/वि0अनु0–5, दिनांक 06.01.2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

सं0 1618/VIII/68–प्रशि0/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून दिनांक 09 जनवरी, 2006 ई०

विषय – वित्तीय वर्ष 2005–06 में थल जिला पिथौरागढ़ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ के थल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय आशुलिपि हिन्दी कटिंग टेलरिंग, विद्युतकार हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए इस शर्त की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, थल जिला पिथौरागढ़ हेतु पदों का विवरण

क्र0स0	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6,500–10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	6,000–9,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000–8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000–8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000–6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000–6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,610–3,540
8.	चपरासी	01	2,550–3,200
9.	चौकीदार	02	2,550–3,200
10.	स्वच्छकार	01	2,550–3,200
	योग :	14	

2– उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ साथ शासन द्वारा समय समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

सं० 1619/VIII/22-प्रशि०/2005

प्रेषक,

सोहन लाल
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून दिनांक 12 जनवरी, 2006 ई०

विषय :—वित्तीय वर्ष 2005-06 में पोखरी, जिला चमोली में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के पोखरी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय फिटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर विद्युतकार हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोखरी, जिला चमोली हेतु पदों का विवरण

क्र०सं०	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कार्यदेशक श्रेणी-तीन	01	6,500-10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5,000-8,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000-8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000-8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000-6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000-6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,610-3,540
8.	चपरासी	01	2,550-3,200
9.	चौकीदार	02	2,550-3,200
10.	स्वच्छकार	01	2,550-3,200
	योग :	14	

2. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

सी0 1621/VIII/05-713-प्रशि0/2004

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून दिनांक 09 जनवरी, 2006 ई०

विषय – वित्तीय वर्ष 2005-06 में कपकोट, जनपद बागेश्वर मे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागेश्वर के कपकोट में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय कोपा, कटिंग टेलरिंग विद्युतकार हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कपकोट, जिला बागेश्वर हेतु पदों का विवरण

क्र0सं0	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कार्यदेशक श्रेणी-तीन	01	6,500-10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5,000-8,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000-8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000-8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000-6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000-6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,610-3,540
8.	चपरासी	01	2,550-3,200
9.	चौकीदार	02	2,550-3,200
10.	स्वच्छकार	01	2,550-3 200
	योग :	14	

2- उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

क्र०स०	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	कोपा	01	20
2.	कटिंग टैलरिंग	01	16
3	विद्युतकार	01	16

3–उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 14,00,000.00 (रुपये चौदह लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं बजट व्यवस्था –

धनराशि हजार रुपयों में

क्र० स०	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01–वेतन	01
2.	03–मंहगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	50
6.	09–विद्युत देय	50
7	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	11–लेखन सामग्री	12
9.	12–कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	01
10.	13–किराया उपशुल्क	01
11.	21–छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	10
12.	26–मशीने साज–सज्जा/उपकरण	1200
13.	42–अन्य व्यय	70
14	48–मंहगाई वेतन	01
	योग :	1400

4 उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5–व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएस एण्ड डी की दरों एवं शर्तों टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन०सी०वी०टी० के मानक के अनुसार ही क्रय किया जावेगा।

6–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या 16, मुख्य लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार, 03 प्रशिक्षण आयोजनागत 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत–00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यूओ 05/वि०अनु०–5, दिनांक 02.01.2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

सं० 1617/VIII/67–प्रशि०/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांक 12 जनवरी, 2006 ई०

विषय वित्तीय वर्ष 2005–06 में कालाढूँगी, जिला नैनीताल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल के कालाढूँगी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय ड्राफ्टसमैन सिविल कटिंग टेलरिंग, विद्युतकार हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये की सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालाढूँगी, जिला नैनीताल हेतु पदों का विवरण

क्र०सं०	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	8,500–10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5,000–8,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000–8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000–8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000–6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000–6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,610–3,540
8.	चपरासी	01	2,550–3,200
9.	चौकीदार	02	2,550–3,200
10.	स्वच्छकार	01	2,550–3,200
	योग :	14	

2. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

प्रेषक, सं0 1622/VIII/05-714-प्रशि0/20

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांक 09 जनवरी, 2006 ई0

विषय :– वित्तीय वर्ष 2005-06 में बिन्ता, जनपद अल्मोड़ा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा के बिन्ता में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय कोपा, विद्युतकार, प्लम्बर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2006 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिन्ता, जिला अल्मोड़ा हेतु पदों का विवरण

क्र0सं0	पदों का नाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान (रुपये में)
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6,500–10,500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5,000–8,000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5,000–8,000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5,000–8,000
5.	सहायक भण्डारी	01	4,000–6,000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4,000–6,000
7.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2,610–3,540
8.	चपरासी	01	2,550–3,200
9.	चौकीदार	02	2,550–3,200
10.	स्वच्छकार	01	2,550–3,200
	योग :	14	

2–उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	कोपा	01	20
2.	विद्युतकार	01	18
3.	प्लम्बर	01	16

3–उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 14,00,000.00 (रुपये चौदह लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बजट व्यवस्था :–

धनराशि हजार रुपयों में

क्र0 सं0	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01–वेतन	01
2.	03–मंहगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	50
6.	09–विद्युत देय	50
7.	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	11–लेखन सामग्री	12
9.	12–कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	01
10.	13–किराया उपशुल्क	01
11.	21–छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	10
12.	26–मशीने साज–सज्जा/उपकरण	1200
13.	42–अन्य व्यय	70
14.	48–मंहगाई वेतन	01
	योग :	1400

4–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5–व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएस एण्ड डी की दरों एवं शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही क्रय किया जावेगा।

6–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या 16, मुख्य लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत–00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8--यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यूओ 08/वि0अनु0-5, दिनांक 02.01.2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सोहन लाल,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/71--भाग 1--2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक--उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 फरवरी, 2006 ई0 (माघ 29, 1927 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कृषि निदेशालय, उत्तरांचल,
देहरादून

कार्यालय–ज्ञाप

04 जनवरी, 2006 ई0

पत्रांक कृ0नि0/4520/क0अभि0/संगठन पत्रा0/2005–06–कृषि विभाग, उत्तरांचल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ताओं को शासनादेश संख्या 1661/47 का0–4–448 एम/85, दिनांक 11.03.1991 के प्राविधानों के अनुपालन में उनकी 16/14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर श्रेणी–2 के पद का वेतनमान रु0 8,000–275–13,500 अनुमन्य कर दिये जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है।

राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इन कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी और न ही उनकी ज्येष्ठता प्रभावित होगी।

क्र0 सं0	कनिष्ठ अभियन्ता का नाम	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर योगदान की तिथि	16/14 वर्ष की सेवा पर वेतनमान रु0 8,000–275–13,500 स्वीकृति का दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री राजेन्द्र कुमार गहलौत	20.01.1982	01.04.2001
2.	श्री केशर सिंह नेगी	20.11.1983	01.04.2001
3.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	09.11.1984	01.04.2001
4.	श्री दिनेश चन्द्र सुन्दरियाल	23.05.1984	01.04.2001
5.	श्री राधेश्याम शर्मा	05.04.1984	01.04.2001
6.	श्री हरीश चन्द्र भारद्वाज	19.03.1986	01.04.2001
7.	श्री बाल भास्कर बिष्ट	15.11.1983	01.04.2001
8.	श्री किशोर कान्त कोटियाल	10.07.1981	01.04.2001